यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूडकी (हरिद्वार), उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय **प्राचार्य बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूडकी (हरिद्वार), उत्तराखंड** के माह 09/2017 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विश्व प्रकाश सिंह, श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री संदीप चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 15.10.2020 से 21.10.2020 तक श्री महेंद्र तिवारी,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजकुमार (ले.प.), श्री खुशीराम (व.ले.प.), रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.09.2017 से 13.09.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 04/2013 से 08/2017 तक के अभिलेखों की जाँच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2017 से 09/2020 तक के अभिलेखों की जाँच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 10/2015 से 09/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः यह महाविद्यालय रूडकी के एन.एच.-73 पर स्थित है। यह से समुद्र तल की ऊँचाई 266.80 मी. है। संस्थान में रूडकी के अतिरिक्त इसके सीमावर्ती क्षेत्रों से भी आकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते है।

(ii) (अ) विगत तीनवर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	--	--	37781983	37781983	00	--	--	--
2018-19	--	--	25902983	25902983	00	--	--	--
2019-20	--	--	38639337	38639337	00	--	--	--
2020-21 (08/20)	--	--	15102527	15102527	00	--	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत (-)**
2017-18	--	--	--	--	--
2018-19	--	--	--	--	--
2019-20	--	--	--	--	--
2020-21 (09/20)	--	--	--	--	--

इकाई को बजट आवंटन (क्रेन्द एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई कार्यालय प्राचार्य बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूडकी (हरिद्वार), उत्तराखंड श्रेणी (सी) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, उच्च शिक्षा

↓

निदेशक, उच्च शिक्षा

↓

अपर निदेशक (गढ़वाल), उच्च शिक्षा

↓

प्राचार्य महविद्यालय

↓

प्राध्यापक गण

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्राचार्य बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूडकी, हरिद्वार, उत्तराखंड**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे है। यह प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूडकी, हरिद्वार, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु **माह 10/2019, 06/2020** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01:- उच्च शिक्षा निदेशक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर महाविध्यालय द्वारा छात्रनिधियों मे रु 1.96 लाख का अधिक शुल्क लिया जाना ।

विद्यार्थी शुल्क मे एकरूपता लाने सम्बन्धी दिनांक 20 जून 2017 को निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता मे कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल के प्राचार्यो की बैठक का आयोजन उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी मे किया गया। बैठक मे कुमाऊँ मण्डल तथा गढ़वाल मण्डल के महाविध्यालयों मे लिए जा रहे शुल्को पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, निदेशक उच्च शिक्षा की सहमति के उपरांत उत्तराखंड मे स्थित महाविध्यालयों मे सत्र 2017-18 से छात्र निधियो के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया।

प्राचार्य, बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज रूडकी ,हरिद्वार के छात्र निधियो के शुल्क सम्बन्धी अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि द्वारा 2017-18 से 2019-20 तक छात्र संघ के अंतर्गत रु 80/- प्रतिवर्ष, परिचय पत्र के अंतर्गत रु 40/- प्रतिवर्ष तथा निर्धन छात्र सहायता के अंतर्गत रु 20/- प्रतिवर्ष छात्र निधि के शुल्क के रूप मे लिए जा रहे थे, जबकि उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा उक्त निधियो मे क्रमशः रु 50/-, रु 25/- एवं रू 10/- निर्धारित किया गया था। इस प्रकार सत्र 2017-18 से 2019-20 तक छात्र निधियो मे ₹ 1,96,845 अधिक लिए गए थे (विवरण संलग्न)।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि छात्र निधियो मे अधिक धनराशि वसूल की जा रही थी। इस प्रकार उच्चाधिकारियों के निर्देशों को न मानते हुये महाविध्यालय द्वारा छात्र छात्रनिधियों मे रु 1.96 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणिका के अनुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जाता है । परंतु निदेशक उच्च शिक्षा की सहमति के उपरान्त उत्तराखंड में स्थित महाविद्यालय में सत्र 2017-18 से छात्र निधियों के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया था, जिसका अनुपालन महविद्यालय द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया ।
अत उच्च शिक्षा निदेशक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर महाविध्यालय द्वारा छात्रनिधियों मे रु 1.96 लाख का अधिक शुल्क लिए जाने का प्रकरण प्रकाश में लिया जाता है ।

भाग -II 'ब'

प्रस्तर-02:- यूजीसी द्वारा निर्धारित Faculty-Student के मानक अनुपात का उल्लंघन एवं विषय विशेष में प्रवक्ता का पद रिक्त होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश दिया जाना।

1. यूजीसी के दिशानिर्देश 2017 के बिन्दु संख्या 4.1 (vii) के अनुसार faculty Student का अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए तथा Part time faculty को इसमे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु कार्यालय प्राचार्य, बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज मे विगत तीन वर्षों से कोर्स बी.ए. में faculty Student का औसतन अनुपात 1:132 का अनुपात था जो कि यूजीसी के मानको के अनुसार बहुत कम है । गौरतलब है की प्राचार्य, बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज मे प्रतिवर्ष छात्रों के नामांकन में लगातार वृद्धि हुई परन्तु छात्रों के बढ़ते नामांकन के समानुपात में प्रवक्ताओं की संख्या में कोई वृद्धि नही हुई है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता के लगातार गिरते हुए स्तर एवं छात्रों के भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

2. समान्यतः विषय विशेष मे प्रवक्ता की उपलब्धता के बाद ही छात्रों को संबन्धित विषय मे प्रवेश दिया जाना चाहिए या सत्र के बीच मे प्रवक्ता का पद रिक्त होता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। इकाई के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि समाज शास्त्र के विषय मे प्रवक्ता के दो पद स्वीकृत थे परंतु उक्त विषय के प्रवक्ता का पद विगत 2 वर्षो से रिक्त था उपरोक्त स्थिति के बाबजूद उक्त विषय मे छात्रो को प्रवेश दिया गया जिसकी स्थिति निम्नवत है-

सत्र	स्नातक
2017-18	312
2018-19	323
2019-20	353

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कॉलेज द्वारा न तो यूजीसी के मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया गया और न ही इसमें पठित छात्रों के भविष्य के मद्देनज़र शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कोई प्रयास गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया की महविद्यालय में प्रवक्ताओं की कमी को निदेशालय के संज्ञान में लाया जिसका कोई साक्ष्य संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तराखंड के पत्रांक दिनांक 23.10.2017 के निर्देशानुसार समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय को शिक्षकों के पदों का रोस्टर तैयार कर तीन दिन के अंतर्गत निदेशालय को प्रेषित किया जाना था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया।

अतः यूजीसी द्वारा निर्धारित Faculty-Student के मानक अनुपात का उल्लंघन एवं विषय विशेष में प्रवक्ता का पद रिक्त होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश दिया जाना का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या	भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
181	01	-	01
83	-	-	01

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उच्चाधिकारी की संस्तुति के अभाव में प्रस्तर यथावत ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्राचार्य बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज,रूडकी (हरिद्वार)तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

अप्रस्तुत अभिलेख:--शून्य--

सतत् अनियमितताएः --शून्य --

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाहै।

क्रं.सं.	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1.	डा. विपिन प्रताप गौतम	प्राचार्य	11.08.2007 से 21.09.2018 तक
2.	डा. गौतम बीर	प्राचार्य	22.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्राचार्य बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूडकी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी.-I